

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी-डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या- 270/2014

बउनवान

रामगोपाल पुत्र रामप्रताप उम्र 55 वर्ष जाति-मीणा निवासी-बामला
तहसील-बारां, जिला-बारां

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, बारां



अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-1. श्री गजेन्द्र नागर, अभिभाषक
2. परोकार सरकार

(अपीलांट)
(रेस्पॉडेंट)

निर्णय दिनांक 15.03.2018

अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 18.03.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम-बामला, तहसील-बारां की आराजी खसरा नम्बर 233 रकबा 0.30 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 180/-रूपये अर्थदण्ड एवं 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र हल्हा पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। निर्णय पारित करने से पूर्व सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया है ना ही अपीलांट को उक्त आराजी से कभी बेदखल किया गया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सजायाब करने में भारी कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.03.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पॉडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नहीं देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

जिला कलक्टर
बारां (राज०)



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

अपीलांट को हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पश्चात्वर्ती मानकर
ब किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती बाबत
साक्ष्य सबूत, स्वतंत्र गवाहान के बयान एवं पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी
में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं घोषित किया जा सकता। विवादित आराजी
अपीलांट ने काफी समय से कब्जा छोड रखा है। वर्तमान में कोई कब्जा नहीं है
अपीलांट वचन देता है कि भविष्य में उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं
। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय
सत्यमेव जयते फरमाया जावे।


इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते
हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का
समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी
पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त
आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 238/12 निर्णय दिनांक 14.3.
2012 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी
तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता
है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान
कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन
रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है व भविष्य में अतिक्रमण नहीं
करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख
अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर,
अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को
यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 650/14 में पारित
निर्णय दिनांक 18.03.2014 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ
की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, बारां
के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिंग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर
भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, बारां कब्जा छोडने से संतुष्ट हो जावे
तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 18.03.2014 से दी गयी
सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय
तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.03.2014 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर
सुनाया गया।




(डॉ०एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर, बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज.)